रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-11122024-259350
CG-MH-E-11122024-259350

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 987] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 11, 2024/अग्रहायण 20, 1946
No. 987] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 11, 2024/AGRAHAYANA 20, 1946

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 11 दिसम्बर, 2024

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
[असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/217.—भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 की उप-धारा (1) के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] विनियम, 2021 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् -

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024 कहा जा सकेगा।

2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम

(इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] विनियम, 2021 में,-

(1) विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ण) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"(णक) "ईएसजी डैट सिक्यूरिटीज़" का अर्थ है- हरित ऋण प्रतिभूतियाँ (ग्रीन डैट सिक्यूरिटीज़), सोशल बॉण्ड, सस्टेनेबिलिटी बॉण्ड, सस्टेनेबिलिटी-लिंक्ड बॉण्ड या किसी भी अन्य प्रकार के बॉण्ड, फिर चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाए जाने वाले प्रावधानों के अनुसार जारी किए जाएँ (जिनमें भारत के परिप्रेक्ष्य में जरूरी बदलाव आदि किए जा सकते हैं, जैसा भी बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए), और बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाने वाली कोई अन्य प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) ।"

(2) विनियम 12 के बाद, निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"**ईएसजी डैट सिक्यूरिटीज़ जारी करना**

12क. जो इश्युअर (निर्गमकर्ता) ईएसजी डैट सिक्यूरिटीज़ जारी करना चाहता हो और उन्हें सूचीबद्ध (लिस्ट) कराना चाहता हो, वह बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाने वाली शर्तों का पालन करेगा ।"

(3) विनियम 26 हट जाएगा ।

(4) अनुसूची-I में,

(क) पैरा 3.3.31 में शब्द तथा चिह्न "न्यासियों," हट जाएँगे ।

(ख) पैरा 3.3.32 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा आ जाएगा, अर्थात्,-

"3.3.32. डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर न्यासियों) के नाम; इस आशय का एक कथन कि डिबेंचर न्यासी ने अपनी नियुक्ति के संबंध में सहमति दे दी है; और साथ ही भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993 [सेबी (डिबेंचर ट्रस्टीज़) रेग्यूलेशन्स, 1993] के विनियम 13 के अनुसार डिबेंचर न्यासी और इश्युअर के बीच किए गए करार (एग्रीमेंट) की प्रति भी उपलब्ध करानी होगी, जिसे देखने के लिए निर्गम संबंधी दस्तावेज (इश्यू डॉक्यूमेंट) में या तो वेब-लिंक दिया जाएगा या फिर एक क्यू.आर. कोड (स्टेटिक क्विक रिसपॉन्स कोड) दिया जाएगा:

परंतु यह कि यदि इश्युअर सामान्य सूचना दस्तावेज (जनरल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट) या शेल्फ प्रॉस्पेक्टस दाखिल करता है, तो इश्युअर करार की प्रति उपलब्ध कराने के बजाय डिबेंचर न्यासी की ओर से प्राप्त उस पत्र की प्रति उपलब्ध करा सकता है जिसमें डिबेंचर न्यासी ने अपनी नियुक्ति के संबंध में सहमति दी हो ।

स्पष्टीकरण: यदि इश्युअर इन विनियमों के अनुसार मुख्य सूचना दस्तावेज (की इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट) या ट्रेंच प्रॉस्पेक्टस दाखिल करता है, तो उसे ऊपर बताए गए करार की प्रति उपलब्ध करानी होगी ।"

जी. राम मोहन राव, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./756/2024-25]

<u>**पाद टिप्पण :**</u>

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/39, द्वारा 9 अगस्त, 2021 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू)

और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] विनियम, 2021 तत्पश्चात्:

(i) 11 अप्रैल, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] (संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/77, द्वारा,

(ii) 9 नवम्बर, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/102, द्वारा,

(iii) 2 फरवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/119, द्वारा,

(iv) 7 फरवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/121, द्वारा,

(v) 3 जुलाई, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/135, द्वारा

(vi) 4 जुलाई, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विवाद सुलझाने की वैकल्पिक व्यवस्था) (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/137, द्वारा,

(vii) 18 अगस्त, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शिकायत निवारण व्यवस्था को सुविधाजनक बनाना) (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/146, द्वारा,

(viii) 10 जुलाई, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] (संशोधन) विनियम, 2024, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/190, द्वारा

(ix) 18 सितम्बर, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/205, द्वारा संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 11th December, 2024

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF NON-CONVERTIBLE SECURITIES) (THIRD AMENDMENT) REGULATIONS, 2024

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/217 ─In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021, namely –

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) (Third Amendment) Regulations, 2024.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021, -

(1) in regulation 2, in sub regulation (1), after clause (o), the following shall be inserted, namely, -

"(oa) Environment, Social and Governance Debt Securities or "ESG Debt Securities" means green debt securities, social bonds, sustainability bonds, sustainability-linked bonds, or any other type of bonds, by whatever name called, that are issued in accordance with such international frameworks as adapted or adjusted to suit Indian requirements that are specified by the Board from time to time, and any other securities as specified by the Board."

(2) after regulation 12, the following shall be inserted, namely, -

"**Issuance of Environment, Social and Governance Debt Securities**

12A. An issuer desirous of issuing and listing of Environment, Social and Governance Debt Securities shall comply with such conditions as may be specified by the Board."

(3) regulation 26 shall be omitted.

(4) in Schedule I,

(a) in paragraph 3.3.31, the word and symbol "trustees," may be deleted.

(b) paragraph 3.3.32 shall be substituted with the following, namely, -

"3.3.32. The names of the debenture trustees(s), a statement to the effect that the debenture trustee has consented to its appointment along with a copy of the agreement executed by the debenture trustee with the issuer in accordance with regulation 13 of the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993 made accessible through a web-link or a static quick response code displayed in the issue document:

Provided that in case the issuer files a general information document or shelf prospectus, the issuer may disclose a copy of the letter obtained from the debenture trustee consenting to its appointment instead of the agreement.

Explanation: In case the issuer files a key information document or tranche prospectus in accordance with these regulations, the issuer shall disclose a copy of the agreement stated above."

G. RAM MOHAN RAO, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./756/2024-25]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021 were published in the Gazette of India on August 9, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/39.
2. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021, were subsequently amended on:
   (i) April 11, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) (Amendment) Regulations, 2022 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/77.
   (ii) November 9, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) (Second) (Amendment) Regulations, 2022 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/102.
   (iii) February 2, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/119.
   (iv) February 7, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/121.
   (v) July 3, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) (Second Amendment) Regulations, 2023 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/135.
   (vi) July 4, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Dispute Resolution Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD–NRO/GN/2023/137.
   (vii) August 18, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Facilitation of Grievance Redressal Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/146.
   (viii) July 10, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) (Amendment) Regulations, 2024 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/190.
   (ix) September 18, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) (Second Amendment) Regulations, 2024 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/205.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.